न्यायालय : प्रवीण कुमार सौंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्षः–2024:::

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेश कमांक 80/गोपनीय/2024/।।–3–1/2024 जबलपुर दिनांकित 05.02.2024 के अनुसार श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर की पदौन्निति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर पर हो जाने से उनका न्यायालय रिक्त होने से मैं प्रवीण कुमार सौंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर, प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता हैः–

(A)- कार्य विभाजन पत्रक के **सरल कमांक 2 में** श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के सम्मुख **कॉलन नंबर 2(अ), 2(ब)** एवं उसमें अंकित संपूर्ण विवरण **विलोपित** किया जाता है।

(B)- कार्य विभाजन पत्रक के **सरल कमांक 6 में श्री राहुल सोलंकी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर एवं समक्ष **कॉलन नंबर 6 (अ) एवं 6 (स) में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट** किया जाता है।

आज दिनांक 23.02.2024 से प्रभावशील

(6)-	**श्री राहुल सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर**	6(अ) आरक्षी केंद्र अफजलपुर एवं **वाई.डी.नगर**	**1.** स्तंभ कमांक 6(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर)तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ कमांक 6(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		6(ब) आरक्षी केंद्र– (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	**4.** स्तंभ कमांक 6(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रूपये 2,00,001 से 3,00,000 तक) की राशि के परिवाद।
		6(स) आरक्षी केंद्र–अफजलपुर एवं **नई आबादी**	**5.** स्तम्भ कमांक 6 (स) में अंकित आरक्षी केंद्रों में–न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरूद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।

धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

संशोधित ::: अनुसूची "ब" ::: दिनांक 04.07.2023 में कॉलम नंबर 3 एवं उसके सम्मुख संपूर्ण विवरण विलोपित किया जाकर कॉलम नंबर 8 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

(प्रवीण कुमार सौंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मन्दसौर (म.प्र.)

क.	आरक्षी केंद्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
8	आरक्षी केंद्र दलौदा एवं **भावगढ़** के – ( )	श्री राहुल सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

<u>प्रतिलिपियां :–</u>

पृष्ठांकन कमांक 187/2024 मंदसौर दिनांक 23 /02/2024

01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03 श्री समस्त संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05 समस्त थाना प्रभारी, मंदसौर की ओर पालनार्थ प्रेषित।

06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07 प्रवर्तन लिपिक, सी जे एम न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सौंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)